डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-662 **New Delhi, Dated: 14.09.2020**

Sh. Vivek Singhal
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 30.08.2020 received through DOPT.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.

DA: 01 page

14.09.20

(S.K. Roy)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skroy@dfcc.co.in
011-23454707

पत्रांक: एमटीसी/ईएन/आर0टी0आई0/भाग–7

दिनांक: 09.09.2020

डिप्टी जी0एम0/एडमिन(पी0आई0ओ0),
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, कॉर्पोरेट ऑफिस।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– डी0एफ0सी0 मुख्यालय का पत्रांक– 2020/एच0क्यू0/एडमिन/आर0टी0आई0– 662 दि0 02.09.2020.

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी सूचना की जानकारी निम्नवत है।

क्र0 सं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	यह कि सकौती मिल बाजार रेलवे स्टेशन के नजदीक दुकानों के ध्वस्तीकरण की अन्तिम तिथि क्या है।	सकौती मिल बाजार रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित भूमि ग्राम सभा/राज्य सरकार सम्पत्ति से कब्जा हटाने के लिये नोटिस सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) सं0सं0 मेरठ द्वारा दिनांक 07.07.2020 को निर्गत किया गया है। सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) सं0सं0 मेरठ द्वारा निर्गत नोटिस के अनुसार 07 दिनों के अन्दर कब्जा हटाया जाना नियत किया गया था।
2	यह कि दुकानों के ध्वस्तीकरण के मुआवजे की क्या धनराशि निर्धारित की गई है।	ग्राम सभा/राज्य सरकार सम्पत्ति पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुल्यांकन लोक निर्माण विभाग, जनपद मेरठ द्वारा किया गया है। मुल्यांकन के पश्चात दुकान सं0– 16 का मुल्यांकन 62,982 रू0 निर्धारित किया गया है।
3	यह कि मुआवजा किस आधार पर दिया जा रहा है।	यह सूचना उपरोक्त पेरा सं0 2 मे दी गयी है।
4	यह कि किरायेदारों के लिए मुआवजा की धनराशि क्या निर्धारित की गई है।	किरायदार को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।
5	यह कि मुआवजा कितनी जगह के लिए व कितने वर्ग गज के हिसाब से दिया जा रहा है।	अर्जित भूमि ग्राम सभा/राज्य सरकार की होने के कारण कब्जाधारियों को भूमि का प्रतिकर नही दिया गया है। केवल उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मुल्यांकन धनराशि का ही भुगतान किया गया है।

9/9/2020

(महावीर सिंह)
उप जनसूचना अधिकारी/
उप परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0/मेरठ